राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 46/2017

तेजाराम विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर जोन, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जालोर।
4. राजेश डी. पुरोहित, स्कूल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिला जोधपुर जरिये जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2017

आदेश की दिनांक : 18.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति दी जावे और वरिष्ठता क्रमांक 2643/90–91 निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के ऊपर अपीलार्थी का नाम जोडा जावे तथा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध

उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को भी उसी रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने बीएससी योग्यता वर्ष 1985 में एवं एमएससी भौतिक योग्यता वर्ष 1987 में तथा बीएड. वर्ष 1988 में अर्जित की थी। अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियम 1971 के तहत आदेश दिनांक 04.12.1990 के द्वारा हुई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 36 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 40 पर अंकित था। अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.1990 को कार्यग्रहण किया। तद्र्थ पदोन्नति के लिये अपीलार्थी के आवेदन को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचोर के प्रधानाचार्य के द्वारा भेजा गया। अपीलार्थी की वरिष्ठता राज्य स्तर पर 2463/90–91 एवं जोन स्तर पर 439/90–91 है और स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति के लिये योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू डीपीसी वर्ष 1996–97 से 2002–03 तक की रिक्तियों के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक पद के लिये आयोजित की गई और उक्त डीपीसी में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति वर्ष 1998–99 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु संतोषजनक निराकरण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2011–12 से 2012–13 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक के पद के लिये डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी को सही पाया गया, परंतु वर्ष 1998–99 के बजाय वर्ष 2011–12 के विरूद्ध पदोन्नत करते हुये आदेश दिनांक 24.05.2013 के द्वारा भीनमाल पदस्थापित किया गया। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 10.03.2016 को उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी वर्ष 1998–99 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक पद के लिये पूर्ण योग्यता एवं पूर्ण अनुभव रखता था। फिर भी अपीलार्थी को

उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति दी जावे और वरिष्ठता क्रमांक 2643/90–91 निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के ऊपर अपीलार्थी का नाम जोडा जावे तथा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को भी उसी रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि प्रावधानों के अनुसार ही चयन वर्ष हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृखंला अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में से डीपीसी द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी की एमएससी भौतिक योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 23.09.2008 के द्वारा जोडी गई है और प्राध्यापक की वर्ष 1997–98 से 2000–01 तक की रिक्तियों के प्रति नियमित डीपीसी दिनांक 29.04.2005 एवं रिव्यू डीपीसी की बैठक दिनांक 31.05.2008 को आयोजित की गई थी और डीपीसी बैठक के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एमएससी भौतिक की योग्यता दर्ज नहीं थी। इसलिये नियमानुसार डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनता है और अपीलार्थी से कनिष्ठ की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में पूर्व से दर्ज थी। इसलिये अपीलार्थी की तुलना उससे नहीं की जा सकती। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने बीएससी योग्यता वर्ष 1985 में एवं एमएससी भौतिक योग्यता वर्ष 1987 में तथा बीएड. वर्ष 1988 में अर्जित की थी। अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियम 1971 के तहत आदेश दिनांक 04.12.1990 के द्वारा हुई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 36 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 40 पर अंकित था। अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.1990 को कार्यग्रहण किया। परंतु अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठता में एवं मेरिट में ऊपर होने के बावजूद अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता भौतिक के पद पर रिक्ति वर्ष 1998–99 के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1998–99 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक के पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान करने तथा अपीलार्थी को उक्त वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की एमएससी भौतिक योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 23.09.2008 के द्वारा जोडी गई थी। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की एमएससी भौतिक योग्यता जो दिनांक 04.02.1993 में जोडी जा चुकी थी और अपीलार्थी द्वारा एमएससी भौतिक योग्यता वर्ष 1987 में अर्जित की गई है, जिसे वर्ष 1993 में सेवा पुस्तिका में जोडा जा चुका है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा उक्त योग्यता अभिवृद्धि दर्ज कराने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन नहीं दिया गया। इस प्रकार हमें अपीलार्थी की ओर से कोई गलती/लापरवाही उक्त योग्यता दर्ज करवाने के संबंध में प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1998–99 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भौतिक के पद पर पदोन्नति पूर्ण अनुभव एवं वांछित योग्यता रखता था, परंतु उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि रिक्ति वर्ष 1998–99 के विरूद्ध

स्कूल व्याख्याता भौतिक के पद पर रिव्यू डीपीसी आयोजित कर जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे तथा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रधानाचार्य के पद पर नियमानुसार पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य